शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-78/1328/बावन-1-14-37(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

सूर्य कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 28 मई, 2014

विषय -मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में स्वीकृत 65 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये केन्द्रांश की अवशेष द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(21)/08, पी0पी0-I, दिनांक 14.11.2011 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-1188/52-1-2012-37(एम0एस0डी0पी0)/11, दिनांक 11 मई, 2012 एवं अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(21)/08, पी0पी0-I, दिनांक 03.08.2012 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-2982/52-1-2012-01(31)/10, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे उक्त जनपद में 55 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(21)/08, पी0पी0-I, दिनांक 18.02.2014 से उक्त 65 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 211.25 लाख की अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त रू0 1,05,62,500/- (रू0 □□ □□□ □□□ लाख बांसठ हजार पॉच सौ मा) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रस्तावित बजट रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष पारित 04 माह के लेखानुदान में से रू0 105.625 □□ अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

केन्द्रांश 100 प्रतिशत (रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□ □□□	□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□ राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (□0+□0)	वर्तमान में अवमुक्त द्वितीय किश्त		वर्तमान में अवमुक्त □□ □□□□
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिजनौर	आंगनवाड़ी केन्द्र	55	3.25	178.75	0.00	89.375	89.375	0.00	89.375

https://shasanadesh.up.nic.in

	,,	आंगनवाड़ी केन्द्र	10	3.25	32.50	0.00	16.25	16.25	0.00	16.25
		□□□=	65	6.50	211.25	0.00	105.625	105.625	0.00	105.625

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करने के ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। धनराशि निर्गत होने के एक माह के पश्चात् प्रथम किश्त से कार्य के अधोमानक निर्माण कार्य के निराकरण होने तथा कार्य गुणवत्तापूर्ण होने की पुष्टि कर ले।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप कराया जायेगा।

3- आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ नामित है। अवमुक्त धनराशि, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अवमुक्त धनराशि से 03 माह में पूरा कर लिया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ के मध्य से (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित कर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर प्रश्नगत आंगनवाड़ी योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/-1-2009-1(1)/2009, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा मात्रात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

8- आहरित धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य मद से आवंटन प्राप्त न किया गया हो।

https://shasanadesh.up.nic.in

9- अवमुक्त धनराशि को व्यय किये जाने के उपरा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण-कार्यों के फोटोग्राफ्स की दो-02 प्रतियां जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्या□, □0प्र0 □□□□ □□ □□□ब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त नि□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध □□□□□ जायेंगे।

10- मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के लिये निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा एक अलग खाता मे न किया □□□□□

11- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक स्थायी बोर्ड भी बनाया जायेग , जिस पर योजना के स्वीकृति की तिथि, वित्तीय-स्रोत, योजना की लागत, कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा लक्ष्य प्राप्त क□□□की तिथि अंकित होगी।

12- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद्स न्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि □□ □□□ आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□□□ □□-व्ययक एवं तद्सम्बन्धी विनियोग □□□□□म द्वारा उपलब्ध हो ज□□

13- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2014-15 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्य -48 के लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय -02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय -01- केन्द्रीय □ □□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान □□ अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्था□□□ (केन्द्रांश 100/□□0-□□0)-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्- □-11-617/□□-2014, दिनांक 27.05.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सूर्य कुमार)
□□□□□□□

संख्या-1328(1)/□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□

4- □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□□, पर्यावरण भवन, □□0□□0□0 □म्पलेक्स □□□ □□, नई दिल्ली।

https://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया 65 आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध व□□□□□□□सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने के साथ ही प्रश्नगत केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- □□□□□, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 □□□□□

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के साथ ही समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8- □□□□□, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची प्राप्त कर गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□□

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, □□□□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□ □□ आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्या□ □□□ □□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- □□□□ □□□□, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।

13- वित्त (□□-व्ययव□) □□0-1 □□ 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11□

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
□□□□□□□

https://shasanadesh.up.nic.in